Birsinghpur, Date: --/--/2023

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रषिक्षण) संजय गाँधी ताप विद्युत गृह, म॰प्र॰पा॰जं॰कं॰लिमि॰, बिरसिंहपुर, उमरिया म॰प्र॰ पिन – 484551

No. 511-0100/Apprentice/GA-TA/169

Birsinghpur, Date: 08/08/2023

रिक्तियों की उपलब्धता सह नियम एवं शर्तें

शासकीय/अशासकीय मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग/म0प्र0 राज्य के पॉलीटेक्निक कॉलेजों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शाखाओं में एक वर्ष के अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते है :–

क्र.	षाखा	ग्रेज्युएट अप्रेंटिस						टेकनीषियन अप्रेटिस					
		सामान्य	अपिव	अजा	अजजा	ई॰डब्ल्यू॰ एस॰	कुल	सामान्य	अपिव	अजा	अजजा	ई॰डब्ल्यू॰ए स॰	कुल
01	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	4	3	2	2	1	12	1	1	निरंक	1	निरंक	3
02	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग	2	2	1	1	निरंक	6	2	निरंक	1	निरंक	निरंक	3
03	इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	निरंक	1	निरंक	1	1	3	निरंक	1	निरंक	निरंक	निरंक	1
04	इलेक्ट्रॉनिक एण्ड टेलीकम्युनिकेशन	1	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0
कुलग्रेज्युएट अप्रेंटिस							22	कुलटेकनीषियन अप्रेटिस					07

प्रशिक्षण के लिए लागू नियम एवं शर्तें:–

01. **शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता:**–शासन के नियमानुसार संबंधित विषय में –

अ) ग्रेज्युएट अप्रेंटिस:– मान्यता प्राप्त युनिवर्सिटी से उपरोक्त विषय में इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में डिग्री या सामान्य विषय जैसे कि आर्ट, कामर्स, या सांइस में ग्रेजूएशन डिग्री।

ब) टेकनीशियन अप्रेंटिस:–म0 प्र0 तकनीकी शिक्षण से मान्यता प्राप्त संस्थान से उपरोक्त विषय में इंजीनियरिंग/टेक्नालॉजी में डिप्लोमा।

02. पात्रता:–

(अ) अभ्यर्थी किसी भी स्थापना/संस्था में इससे पूर्व अप्रेन्टिसशिप हेतु पंजीकृत न हुआ हो तथा किसी भी संस्थान में एक वर्ष या अधिक समय तक कार्य न किया हो ।

(ब) अभ्यर्थी ने अपनी डिग्री/डिप्लोमा वर्तमान सत्र 2023 से अधिकतम तीन वर्ष के अन्दर उत्तीर्ण किया हो।

(स) प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा में प्राप्तांकों की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट)के आधार पर किया जावेगा।

03. उम्मीदवार ध्यान रखे कि, शिक्षुता अधिनियम 1961 की कडिका 22(1) के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए है, नौकरी रोजगार के लिए नहीं । प्रशिक्षण के उपरांत म.प्र.पॉ.जं.कं.लि., बिरसिंहपुर किसी भी उम्मीदवार को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।

04. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटना संबंधी बीमा कराना आवश्यक होगा, जिसकी पॉलिसी की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।

05. साधारण डाक द्वारा आवेदन प्रेषित करने की स्थिति में आवेदक जिस संस्था के प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर रहा है उस संस्था एवं वर्ग का नाम लिफाफे पर भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जावें।केवल उपरोक्त शाखाओं में उत्तीर्ण उम्मीदवारो के आवेदन पत्र ही चयन हेतु स्वीकार्य होंगे।

06. आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा ।

07. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **17.09.2023 है।** निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।आवेदन प्राप्त होने में कोई विलम्ब होने/आवेदन पत्र गुम होने/फटने/नष्ट होने की स्थिति में म0प्र0पा0ज0कं0लि0 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रशिक्षण) , संजय गाँधी ताप विद्युत गृह म0 प्र0 पा0 ज0 कं0 लि0 , बिरसिंहपुर,पिन 484551 के नाम प्रेषित किया जायेगा।

08. प्रशिक्षुओं को आवास एवं आवागमन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान कम्पनी के आवास रिक्त होने की स्थिति में/ कम्पनी वाहन में स्थान रिक्त होने की स्थिति में, उपलब्धतानुसार ही निर्धारित शुल्क आधार पर आवास /आवागमन सुविधा प्रदान की जावेगी।

09. ग्रेज्युएट अप्रेंटिस को रू. 9000/–रू0 (नौ हजार मात्र) एवं टेकनीशियन अप्रेंटिस को रू 8000/– रू0 (आठ हजार मात्र) प्रतिमाह शिष्यवृत्तिका भुगतान किया जावेगा ।

10. शिक्षुता अवधि में अभ्यर्थियों को 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं 10 चिकित्सा अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी।

11. आवेदक अपना आवेदन एवं सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रमाणित/सत्यापित/स्वयं सत्यापित प्रतिलिपियों के साथ प्रेषित करें। अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जावें ।चाही गई जानकारी निर्धारित प्रारूप मेंही दे अन्य किसी आवेदन पत्र के प्रारूप को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

12. आवेदक अपना ई मेल आई डी साफ एवं स्पष्ट अक्षरो में लिखे और उसे समय–समय पर देखते रहें। साथ ही साथ नीचे दी गई कंपनी की वेबसाइट भी देखते रहें ।

13. आवेदको को ऑफर लैटर उनके ई–मेल आई डी/डाक द्वारा भेजे जाएँगे अतः आवेदको से अनुरोध है कि वे अपना ई–मेल आवेदन करने से पहले बना ले जो कम से कम एक साल के लिये वैध हो ।

14. उम्मीदवार चयन हेतु म.प्र.पा.जं.कं.लि. बिरसिंहपुर द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

15. अजा/अजजा/पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. के लिए आरक्षण अप्रेन्टिसशिप एक्ट के प्रावधानो के अनुसार रहेंगें।

16. किसी भी प्रशिक्षु के चयन/निरस्त करने का अधिकार बिना किसी कारण बताये म0प्र0पा0ज0कं0लि0 अपने पास सुरक्षित रखता है, 500रू के स्टाम्प पेपर पर प्रत्येक अनुबन्ध, इत्यादि आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध करायें जाना आवश्यक होगा।

17. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी कम्पनीकी वेबसाइट http://mppgcl.mp.gov.in/careers.htmlपर भी उपलब्ध है ।

18. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :–

1. मध्य प्रदेश का स्थाई निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (केवल मध्य प्रदेश के अभ्यार्थियों के लिए) (स्वसत्यापित)
2. विकलांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (केवल मध्य प्रदेश के अभ्यार्थियों के लिए) (स्वसत्यापित)
3. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (केवल मध्य प्रदेश के अभ्यार्थियों के लिए) (स्वसत्यापित)
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।(केवल मध्य प्रदेश के अभ्यार्थियों के लिए) (स्वसत्यापित)
5. डिग्री /डिप्लोमा की छायाप्रति या प्रोविजनल /अंतिम सेमेस्टर की छायाप्रति (जिसमें CGPA / कुल प्राप्तांक स्पष्ट हों)।(स्वसत्यापित)
6. 10वी /12वी अंकसूची की छायाप्रति । (स्वसत्यापित)

S.V.Nadh

(इंजी.एस.व्ही.नाघन)
अति.मुख्य अभियंता (प्रशिक्षण)
सं.गाँ.ता.वि.गृह, म.प्र.पा.ज.कं.लिमि. बिरसिंहपुर